न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **149/18 (वाद)**

GCMS No. : 2018/00314

1. शंकर पिता मांगू भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

...........वादी

बनाम

1. मांगू पिता रूपा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. भवानीशंकर पिता धन्ना भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. लहरी पत्नी नाथु भील निवासी हवालाखुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4. मोहन पिता मांगू जाति भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. मिठालाल पिता गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. उदा पिता गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
7. भंवरलाल पिता गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. मु. भगवानी बेवा गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. पटवारी, पटवार हल्का फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रजनीकांत मेहता, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विष्णु मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 4
3. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 5

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.05.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कलीचड़ा, पटवार क्षेत्र फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 688, 689, 691, 698, 699, 700, 701 किता 16 कुल रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि में आराजी नम्बर 688, 689, 691 को छोड़कर शेष आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 से 8 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, तथा आराजी नम्बर 688, 691 में प्रतिवादी सं. 5 के नाम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के नाम 7/8 हिस्सा, आराजी नम्बर 689 में प्रतिवादी सं. 5 के नाम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 के नाम 7/8 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी में दर्ज है। आराजी नम्बर 702 मी रकबा तीन बीघा एक बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है। सजरे अनुसार रूपा जी हमारे मूल पुरुष थे जिनके दो पुत्र मांगू, गोदा हुवे। मांगू के दो पुत्र शंकर (वादी), मोहन है। गोदा फौत हो चुका है जिनके वारिस पुत्र मीठालाल, उदा, भंवरलाल व पत्नी भगवानी है। उक्त वर्णित आराजीयात जो मुझ वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्व की राजस्व जमाबन्दी में हमारे मौरूस रूपा पिता उंकार के नाम पर दर्ज थी तथा रूपा जी के निधनोपरान्त उक्त भूमि विरासत से प्रतिवादी सं. 1 व अन्य वारिस गोदा के नाम पर अंकित हुई हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि पर मुझ वादी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा मुझ वादी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से वाद पत्र की कलम संख्या एक के परिशिष्ट–(अ) में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 688, 691 में प्रतिवादी सं. 1 ने अपना 1/2 हिस्सा होना बताकर अन्य सहखातेदारान के साथ प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर विक्रय दी तथा आराजी नम्बर 689 में भी प्रतिवादी सं. 1 ने अपना 1/2 हिस्सा होना बताकर अन्य सहखातेदारान के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर विक्रय कर दी। जबकि प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नही है और न ही प्रतिवादी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार है। प्रतिवादी सं. 2, 3 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 ने जो विक्रय पत्र सम्पादित कराये है जो मुझ वादी के मुकाबले बेअसर व शुन्य निष्प्रभावी है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने वाद वर्णित आराजीयात में नुमाईशी विक्रय पत्र में वर्णित हिस्सेनुसार उक्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी सं. 2. 3 को नही दिया है क्योंकि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि में अपने हिस्से से अधिक अर्थात 1/3 हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज ही नही है तो अपने 1/3 हिस्से से अधिक भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 2, 3 को देने का प्रश्न ही नही उठता है और न ही अपने नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्से से अधिक भूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार ही है।

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2, 3 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर भूमि विक्रय कर दी जिससे प्रतिवादी सं. 2, 3 के नाम पर भूमि दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी सं. 2, 3 मौके पर आकर मुझ वादी को धमकी दे रहे है कि जमीन से कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगे तथा प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 4 के सिखावट में आकर अपने नाम दर्ज कुलिया भूमि को भी हस्तान्तरित करने पर उतारू हो रहा है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 मुझ वादी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 27.06.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने मौके पर आकर मुझ वादी को बेदखल करने एवं कुलिया भूमि को विक्रय करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जायें कि उक्त वर्णित आराजीयात जो मुझ वादी की पैतृक सम्पत्ति है उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से मुझ वादी को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 उक्त वर्णित आराजीयात में वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादी को बेदखल नही करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद प्रतिवादी सं. 11 पंजीयन नही करे व प्रतिवादी सं. 9, 10 ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 3, 5 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 9 से 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 1, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वादीगण के वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 शंकर पिता मांगू भील द्वारा उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजात मौजा फलीचड़ा की नकल जमाबंदी संवत 2046–49 की खाता संख्या 171 प्रदर्श 1, मौजा फलीचड़ा का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, मौजा फलीचड़ा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श 3 पेश किए।

7. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रतिवादी संख्या 1, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 5 का वकालत पत्र विद्वान अधिवक्ता द्वारा एकतरफा कार्यवाही करने के पश्चात प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की कलम नम्बर दो में दर्शाए पारिवारिक सजरे से मूल पुरूष रूपा पिता उंकार एवं जिसके दो पुत्र मांगू एवं गोदा हुए। मांगू के दो पुत्र शंकर एवं मोहन हुए। मांगू के दो ही पुत्र है शंकर एवं मोहन इस संबंध में वादी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ग्राम फलीचड़ा की नकल जमाबंदी संवत 2046–49 के खाता संख्या 153 पर दर्ज आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 688, 689, 691, 698, 699, 700, 701, 702 किता 17 कुल रकबा 33 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी के मौरूस रूपा पिता उंकार के नाम दर्ज थी। मूल पुरूष रूपा फौत हो जाने से विरासत से वादग्रत भूमि वादी के पिता मांगू एवं गोदा के नाम दर्ज हुई। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि मौरूसी भूमि है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत मौरूसी भूमि में पुत्र पुत्रियों का जन्म से ही सहहिस्सेदारी प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात मौजा फलीचड़ा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 पर अंकित नोट अनुसार वादी के पिता द्वारा आराजी नम्बर 688,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

689, 691 में दर्ज अपना हिस्सा विक्रय कर दिया गया। जिसे वादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि में से कुछ हिस्सा विक्रय परिवार के लालन पोषण के लिए ही किया गया है। जिसके संबंध में क्रेता द्वारा वादी को प्रतिफल दिया गया है। खातेदार को भूमि विक्रय करने का अधिकार था। ऐसे में विक्रय की गई भूमि में से मांगू के वारिसो को हिस्सा दिया जाना न्यायोचित नही है। वादी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादी के पिता मांगू के वारिस केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ही है। इनके अतिरिक्त कोई वारिस नही है। ऐसे में वादी के पिता के नाम शेष रही दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को वादग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि होने से सहहिस्सेदारी दिया जाना न्यायोचित है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RRD 14.02.2014 पेज संख्या 74 श्याम बनाम जगवन्ती व अन्य इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है तथा वाद वादीगण को पुष्ट करता है। इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई है कि :–

राज. काश्तकारी अधिनियम, धारा 224 – निर्णय एवं डिक्री द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने एक दावा खातेदारी अधिकारों एवं विक्रय पत्र को जो कि एकल खातेदार द्वारा सम्पूर्ण पैतृक कृषि भूमि का सम्पादित किया गया था को विधि विरूद्ध होने से अकृत व शून्य होने की घोषणा का प्रतिवादी के विरूद्ध दाखिल किया गया था – विचारण न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया परन्तु प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने इसे डिक्री कर दिया – राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील अभिनिर्धारित – सम्पूर्ण पैतृक कृषि भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन जो कि भूमि के सभी शेयर धारकों द्वारा न किया जाकर एकल शेयर धारक खातेदार द्वारा किया गया था वह धारा 6 – सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन – हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की अवहेलना में है जिससे यह अकृत व शून्य होने से प्रभावहीन है – खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम है तथा दावा पोषणीय है।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का वादग्रस्त भूमि में सहहिस्सेदारी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम फलीचड़ा पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली के आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 698, 699, 700, 701 किता 13 कुल रकबा 3.6665 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी शंकर पिता मांगू को 1/6 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा को 1/6 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 मोहन पिता मांगू को 1/6 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम फलीचड़ा पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली के आराजी नम्बर 702 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा के दर्ज है, के बजाय वादी शंकर पिता मांगू को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा को 1/3 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 मोहन पिता मांगू को 1/3 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. शंकर पिता मांगू भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. मांगू पिता रूपा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. भवानीशंकर पिता धन्ना भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. लहरी पत्नी नाथु भील निवासी हवालाखुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4. मोहन पिता मांगू जाति भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. मिठालाल पिता गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. उदा पिता गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
7. भंवरलाल पिता गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. मु. भगवानी बेवा गोदा भील निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. पटवारी, पटवार हल्का फलीचड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 149/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00314

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम फलीचड़ा पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली के आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 698, 699, 700, 701 किता 13 कुल रकबा 3.6665 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी शंकर पिता मांगू को 1/6 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा को 1/6 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 मोहन पिता मांगू को 1/6 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम फलीचड़ा पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली के आराजी नम्बर 702 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा के दर्ज है, के बजाय वादी शंकर पिता मांगू को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 मांगु पुत्र रूपा को 1/3 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 4 मोहन पिता मांगू को 1/3 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.05.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली